State Curriculum Framework-2011

Position Paper

on

Hindi

SCERT TELANGANA

School Education Department
Telangana, Hyderabad.

State Council of Educational Research & Training,
Telangana, Hyderabad.

State Curriculum Framework (SCF)-2011

भाषा व भाषा – शिक्षण : एक आधार पत्र

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

हैदराबाद

SCERT TELANGANA

विषय–सूची

कार्यकारी सारांश **4**

1. भाषा की प्रकृति : एक नया दृष्टिकोण **6**

- परिचय
- भाषा क्या है?
- भाषा सीखने की क्षमता
- बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं?
- भाषा के इनपुट (आगत) और आउटपुट (निर्गत)

2. भाषा और समाज एवं अन्य मुद्दे 10

- भाषा और समाज
- बहुभाषिकता
- आंध्रप्रदेश में बहुभाषिकता
- भाषा और विचार
- भाषा और बोली
- भाषा और लिपि
- द्वितीय भाषा – अधिगम
- भाषा और समावेशी शिक्षा
- आर.टी.ई.–2009 और भाषा के मुद्दे
- नये दृष्टिकोण के कक्षा–कक्ष में निहितार्थ

3. भाषा अधिगम – उपलब्धियाँ **19**

- परिचय
- अपेक्षित उपलब्धियाँ
- सौंदर्य शास्त्रीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी
- अधिभाषिक चेतना

SCERT TELANGANA

4. विधियाँ, पाठ्यपुस्तकें और सामग्री 22

- परिचय
- शिक्षण अधिगम के अभ्यास एवं युक्तियाँ
- पाठ्यपुस्तकें और भाषा के अन्य संदर्भ
- भाषा सीखना : अतिरिक्त सामग्री

5. आकलन की प्रक्रिया 30

- परिचय
- अर्थपूर्ण आकलन
- हमें क्या करने की जरूरत है?

6. अध्यापक प्रशिक्षण 33

- परिचय
- NCF 05 और RTE 09
- समेकन

7. अनुशंसाएँ 38

परिशिष्ट

(i) भाषा सलाहकार एवं – समिति के सदस्य

(ii) संदर्भ

SCERT TELANGANA

कार्यकारी सारांश

इस आधार पत्र में शिक्षण शास्त्रीय दृष्टि से भाषा पढ़ाये जाने पर बातचीत की गयी है। बच्चों में अनौपचारिक परिस्थितियों में भाषा सीखने की अपार क्षमता होती है। वे बच्चे जो किसी मानसिक रोग से ग्रस्त नहीं हैं स्नेह भरे माहौल में चार साल की उम्र के पहले ही सहज रूप से एक से अधिक भाषाएँ बोलना सीख लेते हैं। इतनी कम उम्र में ध्वनियों, शब्दों वाक्यों और अर्थ के स्तर पर भाषा की जटिल संरचना को आत्मसात् कर लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इस संदर्भ में दो अन्य नियम हैं– समृद्ध मौके और बहुभाषिकता। स्कूलों में भी बच्चे की जन्मजात क्षमता बरकरार रखने के लिए समृद्ध, समझने योग्य, रुचिकर और चुनौतीपूर्ण मौके देने के साथ–साथ स्नेहभरा और सहानुभूति भरा माहौल देने की जरूरत है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश कक्षा–कक्ष में भाषाओं के विभिन्न रूप मौजूद रहते हैं। इसलिए ये बहुभाषिक हैं।

यदि बच्चों की भाषाओं को समान नहीं दिया जाये और इसे सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाये तो वे अपने आप को अलग–थलग महसूस करेंगे और एक दिन स्कूल छोड़ देंगे। इसलिए यह भाषा शिक्षण शास्त्र बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की वकालत करता है। बहुभाषावाद और विद्वत् उपलब्धि, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक सहिष्णुता के बीच गहरा संबंध है। अतः भाषा शिक्षण कार्यक्रम बहुभाषिकता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

इस आधार पत्र में 7 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। पहला व दूसरा अध्याय 'भाषा की प्रकृति' के बारे में है और भाषा क्षमता की प्रकृति, भाषा सीखने की प्रक्रियाएँ, भाषा, समाज और विचार के बीच के संबंध, भाषा और बोली, भाषा और लिपि पर विस्तार से चर्चा करता है। बहुभाषिकता और भाषा शिक्षण के उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य पर आधारित कक्षा–कक्ष के व्यवहार के बारे में भी चर्चा करता है, इस अध्याय में आर.टी.ई.–2009 की भाषा संबंधी प्रावधानों की धाराएँ भी हैं और निःशक्त बच्चों के संबंध में विद्यालय अनिवार्य रूप से क्या करें, इसके बारे में भी बातचीत की गयी है। सभी प्रकार के निःशक्त बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विद्यालय तक उनकी पहुँच पर बल देता है।

तीसरा अध्याय 'भाषा अधिगम परिणामों' पर केंद्रित है। यह बल देता है कि सभी भाषा शिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य फोकस बच्चों द्वारा विद्यालय में लायी गयी भाषा (भाषाओं) की निपुणता के स्तर के को बढ़ाना होना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि यदि बच्चे की पहली भाषा (भाषाओं) में निपुणता के उच्च स्तर आश्वस्त किये जाते हैं, तो यह न केवल दूसरी भाषाओं

में निपुणता के उच्च स्तर प्राप्त करने में लाभदायक होगा बल्कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं को समझने में भी बच्चे की मदद करेगा। यह भी तर्क दिया गया है कि सु.बो.प.लि. जैसे अलग–अलग कौशलों पर नहीं बल्कि भाषा निपुणता की समग्रता पर फोकस होना चाहिए, जहाँ तक बच्चा सुन और बोल सके; समझ के साथ पढ़–लिख सके। चौथा अध्याय 'पद्धतियाँ, पाठ्यपुस्तकें और सामग्रियाँ' है जिसमें यह सुझाया गया है कि बच्चों को विभिन्न तरह की बातचीत के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और पाठ्यपुस्तकों के दायरे से बाहर निकलकर भाषा इस्तेमाल के मौके अवश्य मिलने चाहिए। मस्तिष्क मंथन, समूह वाचन, चर्चाएँ, प्रतिवेदन, दीवार पत्रिकाएँ, नृत्य रचना, नाटकीकरण, कठपुतली तमाशा, परियोजना कार्य आदि कई स्तर के बच्चों के लिए भाषा अधिगम के क्षेत्र में उपयोगी तकनीकें हैं। पॉचवां अध्याय 'आकलन' से संबंधित है। यह व्यापक और निरंतर आकलन पर बल देता है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रियाएँ बच्चे के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, सामाजिक, सौंदर्यशास्त्रीय, और नैतिक पहलू के विकास को सुनिश्चित करनेवाली होनी चाहिए। छठा अध्याय अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में है। इसमें सेवापूर्व और सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की एक सतत प्रक्रिया की अवधारणा विकसित करने के लिए अपील की गयी है। आखिरी अध्याय में 'सिफारिशों' की सूची है जो भविष्य में विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में होनेवाले सकारात्मक हस्तक्षेप (बेहतरी) के लिए बुनियाद तैयार कर सकता है।

पहले परिशिष्ट में भाषा समिति के सदस्यों और परामर्शदाताओं की सूची दी गयी है जो भाषा में रुचि लेनेवाले लोगों के लिए उपयोगी है। हमारा सुझाव है कि ये सारी किताबों और आलेख राज्य की सभी डाइटों में उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

SCERT TELANGANA

1. भाषा की प्रकृति : एक नया दृष्टिकोण

परिचय

यह आधार पत्र राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा–2005, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के दो आधार पत्रों– ''भारतीय भाषाओं का शिक्षण'' तथा ''अंग्रेजी शिक्षण'' को आधार बनाकर तैयार किया गया है। भाषा का नया दृष्टिकोण, जिसकी वकालत इस आधार पत्र में की गई है वह भाषा अधिगम की प्रक्रिया की व्याख्या करने वाले पारम्परिक ''उद्दीपन–प्रतिक्रिया'' और अनुकरण मॉडल से पर्याप्त रूप से भिन्न है।

सामान्यतः आम लोग भाषा को केवल संप्रेषण माध्यम समझते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के विचार में भाषा शब्दों और वाक्य संरचना के नियम में बंधकर शब्दों तथा वाक्यों के स्तर पर नियमबद्ध है। लेकिन इतना कहने मात्र से पूरी तस्वीर उभरकर नहीं आती है। भाषा को व्यापक रूपरेखा में विश्लेषित करना चाहिए, ताकि यह अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षकों, पाठ्यपुस्तक लेखकों, पाठ्यचर्या निर्माताओं तथा शैक्षिक नीति–निर्माताओं के लिए लाभदायक हो। भाषा को उसके संरचनागत, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्य शास्त्रीय आदि बहुआयामी पक्षों के मद्देनजर देखना होगा।

1.2 भाषा क्या है?

भाषा के बिना समाज या व्यक्ति की कल्पना करना हमारे लिए कठिन है। वास्तव में भाषा हमारी पहचान बनती है और समाज तथा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने में हमारी सहायता करती है। हमारे दिमाग में समाज तथा प्रकृति दोनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है।

भाषा, इंसानों की अनोखी विशेषता है। भाषा हमारे विचारों का वाहन है। इसका उपयोग हम कई उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे– सोचने, समस्या सुलझाने, नाटक करने, स्वप्न देखने, व्याख्या करने, भावों का संप्रेषण और सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए। हम केवल दूसरों से बात करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आपसे बात करने के लिए भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सामाजिक व्यवहार और सत्ता संबंधों से भाषा घनिष्ठ रूप से जुड़ी है।

अभिभावकों, अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षकों और शैक्षिक नीति–निर्माताओं को यह समझना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि चार वर्ष का बालक भाषाई दृष्टि से वयस्क हो जाता है। कोई भी अभिभावक या रिश्तेदार अपने बच्चों को भाषा सचेत रूप से नहीं सिखाते हैं। बच्चे ध्वनियों,

शब्दों, वाक्यों तथा अर्थों के स्तर पर भाषा के संचालित नियमों की बहुत जटिल तथा समृद्ध व्यवस्था का अर्जन कर लेते हैं। हिंदी बोलने वाला बच्चा यह जानता है कि कब 'तू' का, कब 'तुम' का और कब 'आप' का प्रयोग कब करना है।

1.3 भाषा सीखने की क्षमता

ऊपर बतायी गयी बातों से यह स्पष्ट होता है कि बच्चा भाषा सीखने की जन्मजात भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा न केवल एक भाषा सीखता है, बल्कि आस–पास की अन्य भाषाएँ भी सीख लेता है। इसलिए अगर हम बच्चे की जन्मजात भाषाई क्षमता के साथ भाषा का समृद्ध माहौल मिला दें तथा उसे प्यार दें उसका ख्याल रखें तो वह भाषा स्वतः ही सीख जाता है। यह जागरूकता कि बच्चे में जन्मजात भाषा क्षमता होती है, एक महत्त्वपूर्ण शिक्षाशास्त्रीय परिणाम है। यदि बच्चे को पर्याप्त अवसर दिये जायें तो वह नयी भाषा सरलता से सीख लेता है। पर्याप्त अवसर, समृद्ध प्रबंधन तथा देख–रेख के प्रभाव से सीखी हुई भाषा में बच्चा अपने विचार व्यक्त करता है। इसलिए हमारा ध्यान व्याकरण के नियमों पर न होकर अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर होना चाहिए।

1.4 बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं?

मातृभाषा हिंदी बोलनेवाला साधारण बच्चा कहता है– 'माँ, खाना दो। खाना खाकर खेलूँगा।' यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चा चाहता तो... 'देता हूँ', 'देती हूँ', 'दूँगी', 'देगी' आदि शब्द कह सकता था, लेकिन वह 'माँ' से माँगता है, इसलिए वह देने के लिए 'दो' क्रिया रूप का ही प्रयोग करता है। इसी प्रकार बच्चा 'खेलूँगा' कहता है न कि 'खेलेगा', 'खेलोगे' आदि।

ऊपर का उदाहरण हमें बताता है कि बच्चे ने हिंदी की वाक्य संरचना के जटिल नियमों को समझने की एक व्यवस्था अपने दिमाग में तैयार कर ली है जो कि उसे किसी ने नहीं सिखाई है। हर भाषा के अध्यापक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी बच्चे भाषा के ज्ञान निर्माण की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। यदि आप ऊपर लिखे वाक्य को सूक्ष्मता के साथ देखें तो आपको पता चलेगा कि भाषा कितनी जटिल है। यह जटिल और नियमबद्ध व्यवस्था है। ऊपर लिखा वाक्य शब्दक्रम, कर्ता–कर्म के संबंध, सकर्मक, अकर्मक क्रिया आदि की जटिलता को व्यक्त करता है। कोई भी व्यक्ति बच्चों को शब्द–दर–शब्द या वाक्य–दर–वाक्य में भाषा नहीं सिखाता, लेकिन बच्चे संदर्भपूर्ण परिस्थितियों में भाग लेते हुए इसका अनौपचारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें भाषा सीखने में बच्चों से त्वरित उपलब्धि की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बच्चे तभी बोलते हैं, जब वे शारीरिक तथा संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं और कुछ कहने के

लिए उपयुक्त संदर्भ हो। निरर्थक अभ्यास बच्चों को रटंत भाषा के पुनरुत्पादन पर बल देता है जो कि बिल्कुल व्यर्थ प्रयास है। अतः हम कह सकते हैं–

- हर इंसानी बच्चा आनुवांशिक रूप से सार्वभौमिक व्याकरण (चौम्स्की) नामक भाषाई क्षमता/व्यवस्था के साथ जन्म लेता है तथा भाषा सीखने में हम इस अन्तर्निहित व्यवस्था को खोलने या उजागर करने का काम करते हैं।
- भाषा अर्जन घुमावदार या चक्राकार तरीके में प्रगति करता है न कि रेखीय तरीके में।
- भाषार्जन में अनुकरण का बहुत सीमित व सतही तौर पर योगदान हो सकता है। प्रत्यक्षतया दिखाई दे रहा अनुकरण वास्तव में सीखनेवाले द्वारा दिमाग में बनाए भाषाई ज्ञान का प्रतिबिम्ब है।
- भाषा दोहराने से नहीं, बल्कि आवश्यकता आधारित व अर्थपूर्ण संवादों में भाषाई तथ्यों की आवृत्ति द्वारा अर्जित की जाती है।
- भाषा अकेले शब्द और संरचना सीख लेने मात्र से नहीं आती, बल्कि संवाद में शामिल होने और संवाद करने से अर्जित की जाती है।
- भाषा केवल चार कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का योग नहीं है, बल्कि इन भाषा कौशलों के प्रदर्शन से अन्तर्निहित क्षमता व्यक्त होती है।
- भाषा अर्जन हमेशा पूर्ण से अंश की ओर बढ़ता होता है न कि अंश से पूर्ण की ओर। बच्चों को संवाद के स्तर के इनपुट देने और एक समय के बाद उनसे संवाद के रूप में आउटपुट प्राप्त करने से हम सम्पूर्णता में भाषा शिक्षण की अनिवार्यता को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- सहयोगपूर्ण वातावरण में ही भाषा अर्जन संभव हो सकता है (वायगोट्स्की, ब्रूनर), जहाँ बच्चा अंतरवैयक्तिक (इंटरपर्सनल) तथा आंतरवैयक्तिक (इंट्रापर्सनल) वार्तालाप में शामिल होने के पर्याप्त अवसर प्राप्त करता है।

1.5 भाषा के इनपुट (आगत) और आउटपुट (निर्गत)

अध्यापकों और अभिभावकों में धैर्य होना चाहिए। उनके लिए यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि बच्चे को शुरुआत में बहुत सारे इनपुट की आवश्यकता पड़ सकती है और हो सकता है कि बहुत कम आउटपुट प्राप्त हो। भाषार्जन में हमेशा एक लम्बी खामोशी होती है, कुछ आउटपुट

SCERT TELANGANA

दिखाई नहीं देता है जबकि उस समय भाषार्जन चल रहा होता है। एक बार जब बच्चा तैयार हो जाता है तो फिर आउटपुट हमेशा इनपुट से अधिक होगा।

- भाषा सीखने की कोई क्रमिकता नहीं होती, जैसे– वर्णमाला, शब्द, वाक्य। बच्चा हमेशा भाषा समग्र रूप से (पूर्ण से अंश सीखता है, न कि अंश से पूर्ण) सीखता है। बच्चा बोधगम्य संवाद/चर्चा में भाग लेता है और वहाँ से वह आगे बढ़कर ध्वनि, शब्द, वाक्य व अर्थ के अलग–अलग अर्थ/व्यवस्था बनाता है।
- भाषा अर्जन में एक निश्चित क्रम जैसे 'सरल से जटिल' या 'जटिल से सरल' नहीं होता है। माता–पिता, रिश्तेदार, दोस्त आदि बच्चों से बातचीत करते समय यह अपनी बातचीत में यह नहीं जाँचते की सरल वाक्य बोला जाए या जटिल वाक्य। वो बातचीत बहुत नैसर्गिक होती है जिसमें सरल, जटिल, संयुक्त सभी प्रकार के वाक्य होते हैं।
- बच्चा शब्दों के अर्थ को संदर्भ के द्वारा ग्रहण करता है, और अर्थ बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है।
- बच्चा परिस्थिति अनुसार सीमित और ज्ञात शब्दावली के आधार पर असीमित वाक्य बना सकता है।
- बच्चा बोधगम्य तथा चुनौतीपूर्ण इनपुट चाहता है। समझ (बोध) मस्तिष्क में चलनेवाली प्रक्रिया के अलावा कुछ और नहीं है। अन्य भाषाएँ सुनते समय बहुत सारी चीज़ें (जैसे संदर्भ, वार्तालाप से अपेक्षा, परिचित शब्द, भाव–भंगिमाएँ आदि) बच्चे को व्यक्तिगत रूप में सहायता करती हैं।

SCERT TELANGANA

2. भाषा, समाज और अन्य मुद्दे

2.1 भाषा और समाज

यद्यपि बच्चे जन्मजात भाषा क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, फिर भी प्रत्येक भाषा विशेष प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक संदर्भों में अर्जित की जाती है। हर बच्चा यह सीखता है कि उसे किससे कहाँ और क्या बात करनी है।

> 'भाषा का समाज के बाहर न ही अस्तित्व है, और न ही विकास।'
>
> –ऑरोरिन

जैसा कि ऑरोरिन ने बताया, समाज तथा भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं है। जैसे समाज बदलता है वैसे ही भाषा भी बदलती है। अतः भाषा अधिगम अंतर्निहित सामर्थ्य और सामाजिक परिवेश की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है।

भाषा सामाजिक संप्रेषण के लिए इस्तेमाल में लायी जाती है और समाज की आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। वह मानव संबंधों के सभी आदान–प्रदान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा की लोकप्रियता सामाजिक अंतःक्रियाओं, उपयोग और कार्य पर निर्भर करती है।

समाज का सृजन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि लोगों का एक समूह आपस में कुछ साझा मूल्यों को नहीं अपनाता है तथा मूल्यों को आत्मसात् करने तथा व्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। यह भाषा ही है जो लोगों को करीब लाती है और एक सूत्र में पिरोती है।

1.7 बहुभाषिकता

बहुभाषिकता मनुष्य की पहचान बनाती है। यहाँ तक कि किसी दूरदराज के गाँव में तथाकथित एकल भाषा में मौखिक भंडार होता है जो कि कई सारे संप्रेषित अवसरों पर पर्याप्त रूप से भाषा को कार्य करने के लिए समृद्ध बनाता है।

हमारी कक्षाओं का बहुभाषिक होना स्वाभाविक है। जब सभी समाज विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में सामंजस्य के लिए बहुत अधिक विविधतापूर्ण भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए, कक्षा में मौजूद भाषाई विविधता को एक बाधा मानने के बजाय उसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए और उसे एक शिक्षण की रणनीति के साथ में इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। अतः बहुभाषिकता को जीवित रखना और उसका संरक्षण करना हमारी भाषा योजना का केंद्रबिंदु होना चाहिए। अतः कक्षा में उपलब्ध भाषाओं और विविधताओं को इस्तेमाल

SCERT TELANGANA

करने व सम्मान करने के तरीके हमें खोजने होंगे। एक बच्चा जिसकी आवाज को नहीं सुना जाता है, निश्चित ही वह अपने आपको अलग–थलग महसूस करेगा और एक समय पर वह स्कूल छोड़ देगा। यांत्रिक और उबाऊ तरीके से व्याकरण पढ़ाने के बजाय कक्षा–कक्ष में उपलब्ध भाषाओं की विविधता को हम भाषा की संरचना पर सोचने, विचार करने का एक आधार बना सकते हैं।

1.8 आंध्र प्रदेश में बहुभाषिकता

भारत के अन्य किसी भी राज्य की तरह आंध्र प्रदेश भी उच्च बहुभाषिकता वाला राज्य है। यहाँ बोली जानेवाली कई भाषाएँ विविध भाषा परिवारों से संबंध रखती हैं। इसकी मुख्य भाषाओं में तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी शामिल हैं। यहाँ अनेक जनजाति भाषाएँ भी हैं, जिन्हें शिक्षा के साथ सभी सरोकार की वास्तव में जरूरत है। कई विद्वान् और शिक्षाविद् आंध्रप्रदेश में भाषाई मुद्दे के रूप में केवल तेलुगु और अंग्रेजी को ही देखते हैं।

इसी क्रम में हम कक्षा में पायी जाने वाली बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए अपनी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और कक्षा–कक्ष प्रक्रियाओं को निर्मित करने की जरूरत है।

हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि बहुभाषिकता के इस्तेमाल और उसे बनाये रखने से शैक्षिक उपलब्धि तथा संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं।

- वैसे तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, किंतु यहाँ संप्रेषण के लिए अन्य कई भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
- यहाँ शिक्षा का मुख्य माध्यम तेलुगु, उर्दू, और अंग्रेजी है। इन सबके अलावा कुछ क्षेत्रों में हिंदी, गुजराती अन्य अल्पसंख्यक माध्यम पाठशालाएँ भी कार्यरत हैं।
- आंध्रप्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में कोलामी, कोया, कोंडा, बंजारा, कुवी, गोंडी, सवरा और उड़िया भाषाएँ भी बोली जाती हैं।
- आंध्रप्रदेश के बहुत प्रसिद्ध भाषाविद् तुमटि दोनप्पा, भद्रीराजु, कृष्णमूर्ति, चेकूरी रामाराव, बूदराजू राधाकृष्णा, कोमराजू लक्ष्मण राव और सुरवरम प्रताप रेड्डी के शोध अध्ययन स्कूलों में बहुभाषिक शिक्षा लागू करने में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं।

SCERT TELANGANA

1.10 भाषा और विचार

पहले क्या आती है– भाषा या विचार? वास्तव में यह एक कठिन प्रश्न है। विचार भाषा और सोच एक दूसरे पर आश्रित और आधारित हैं। क्या हम भाषा के अस्तित्व के बिना एक विचार की कल्पना कर सकते हैं? भाषा बच्चे के भावात्मक पहलू को छूती है और सक्रिय बनाती है। कोई काम पूरा करने या किसी खास परिस्थिति में जीवित रहने में भाषा एक व्यक्ति को खुद से सोचने में मदद करती है। सोचने की क्रिया भाषा को गतिशील बनाती है।

- भाषा और विचार एक–दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते, दोनों के बीच का संबंध काफी जटिल है।
- भाषा एक ओर हमारी विचार प्रक्रिया को संरचना प्रदान करती है तो दूसरी ओर ज्ञान और कल्पना के अनखोजे क्षेत्रों में हमें नेतृत्व प्रदान करती है।
- भाषा के माध्यम से ही संस्कृति, रीति–रिवाज और परम्पराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किये जायेंगे।

भाषा सोचना सिखाती है। विभिन्न प्रकार के तार्किक चिंतन से सृजनात्मकता आती है। यदि एक बच्ची को नये तरीके से सोचने का मौका दिया जाये तो वह विभिन्न विधाओं (जैसे– गीत, कविता, निबंध, कहानी आदि) का सृजन करती है।

भाषा की कक्षा में बच्चे को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता का विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। अपनी भाषा का विकास करने में कक्षाकक्ष की प्रकृति और अध्यापक–छात्र संबंध बच्चे में आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं।

1.11 भाषा और बोली

अधिकांश लोग भाषा के साथ अपनी प्रतिष्ठा को जोड़ते हैं और बोली को तुच्छ और खराब विभिन्नताओं के रूप में मानते हैं। भाषा और बोली के मुद्दे पर लोगों की बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया निम्नलिखित होती है–

- भाषा एक निश्चित व्याकरण का अनुसरण करती हैं और उनकी एक लिपि होती है, जबकि बोलियों के पास ये चीजें नहीं होतीं।
- भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। लेकिन बोली स्थानीय या एक खास क्षेत्र में सीमित होती है।
- भाषा प्रामाणिक और परिष्कृत होती है और साहित्य, पत्रकारिता, सरकार और दूसरे कार्यालयों, न्यायालयों आदि में उपयोग की जाती है, जबकि बोली का उपयोग साधारण वार्तालाप में होता है।

फिर भी भाषा वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से :

- भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है। दोनों का व्याकरण होता है और दोनों नियमों का अनुसरण करती हैं।
- बोलियों को भी लिखा जा सकता है। हम उनका व्याकरण और शब्दकोश भी लिख सकते हैं।
- किसे भाषा कहा जाय और किसे बोली– यह शुद्ध रूप से एक सामाजिक और राजनैतिक मुद्दा है। यह कहा जाता है कि 'भाषा केवल एक बोली है जो सेना और शस्त्रों से सुसज्जित है। इसका मतलब विभिन्न उपयोग और धनी और सत्ताधारी लोगों के सहयोग से वह सामाजिक भाषा बन जाती है।

महत्त्वपूर्ण लोग (सत्ताधारी और धनी) भाषा के जिस रूप का उपयोग करते हैं या संरक्षण प्रदान करते हैं वह ध्यान में लायी जाती है और कालांतर में उसे भाषा घोषित कर दिया जाता है। धीरे–धीरे इसकी शब्दावली, शब्दकोश और व्याकरण लिखे जाते हैं। क्रमशः उस क्षेत्र में यह साहित्य की भाषा बन जाती है। कालांतर में यह प्रामाणिक रूप प्राप्त करती है और पाठशालाओं में बच्चों के लिए लिए निर्देश का माध्यम बन जाती है। कुछ समय के बाद उस क्षेत्र में बातचीत की इसी तरह की भाषाएँ उन विशेष, सत्ताधारी भाषा की बोलियाँ घोषित हो जाती हैं।

इन जटिल सामाजिक–राजनैतिक प्रक्रियाओं में निम्न सुविधा प्राप्त बच्चों की हानि होती है, क्योंकि वे जिस भाषा के साथ पाठशाला आते हैं उनका उस प्रामाणिक भाषा की वेदी पर बलिदान देना पड़ता है। अध्यापक स्वयं को शुद्ध और मानकीकृत भाषा का रखवाला मानता है। अध्यापक को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि –

- भाषा के समृद्ध कोष के साथ बच्ची पाठशाला में आती है। वह अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सारे व्याकरणिक नियम जानती है।
- उसकी मातृभाषा(एँ) स्कूल में शिक्षा का माध्यम, पढ़ाई का माध्यम नहीं बन पाई है। यह एक राजनैतिक मुद्दा है। वह अपनी भाषा में गलती नहीं कर सकती।
- मानकीकृत भाषा सीखते समय वह जो गलतियाँ करती हैं, वे आधारहीन नहीं होते हैं, वे कुछ निश्चित पैटर्न दर्शाते हैं। कालांतर में ये गलतियाँ सुधरती हैं। ये सीखने की प्रक्रिया के अनिवार्य चरण हैं।

SCERT TELANGANA

- कोई भी बच्चा बिना त्रुटियों के भाषा नहीं सीख सकता और प्रथम भाषा सीखने वाले भी वही गलतियाँ करते हैं जो दूसरी या तीसरी भाषा सीखते समय करते हैं।

1.12 भाषा और लिपि

भाषा प्राथमिक रूप से बातचीत है। बातचीत को लिखने में ही लिपि का महत्त्व या अर्थ है। भाषा और लिपि के बीच कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता है।

वास्तव में संसार की सारी भाषाएँ किसी एक लिपि में लिखी जा सकती हैं या कोई भी व्यक्ति सूक्ष्म परिवर्तनों के साथ किसी भी भाषा को संसार की सारी लिपियों में लिख सकता है। भाषा लिपि के पहले आती है और कुछ भाषाओं के साहित्य के विकास में इसकी (लिपि) कोई भूमिका नहीं होती। लिपि निर्भर होती है, समाज में अपनी उपयोगिता और समृद्ध वर्ग, जो किसी समाज को शासित करते हैं पर। इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि लिपि उन लोगों के अनुसार बदलती है जो सत्ता में आते हैं। कई भाषाएँ जो कभी फारसी, अरबी लिपि में लिखी जाती थीं, आज देवनागरी, गुरुमुखी या रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उदाहरण के लिए, उर्दू शायरी आजकल फारसी, अरबी, देवनागरी और रोमन लिपि में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। संथाली भाषा पाँच विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है।

1.13 द्वितीय भाषा अधिगम

जैसा कि हमने पहले ही ध्यान दिलाया है कि मानव समुदाय भाषा संकाय या भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है और यह क्षमता और जीवनकाल में कभी भी कितनी ही भाषाएँ अर्जित करने सीखने में उन्हें सक्षम बनाती है। यह सही है कि बच्चे नयी भाषाएँ बहुत तेजी से अर्जित करते हैं खासकर उनकी ध्वनि व्यवस्थाएँ। शब्दों और वाक्य संरचना को अर्जित करने के ख्याल से वयस्क प्रायः बेहतर होते हैं। यदि बच्चे नयी भाषाएँ जैसे– आंध्र प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी सीखने में असफल होते हैं, तो समस्या बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि सामग्रियों, विधियों, अध्यापकों तथा स्कूल में उपलब्ध संपूर्ण संसाधन के साथ है। द्वितीय भाषा आसानी के साथ सीखी जायेगी यदि हम समृद्ध और चुनौतीपूर्ण मौके, देखरेख और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करें। समृद्ध मौकों में शामिल है– विभिन्न प्रकार के संवादों में भाग लेना जैसे कविता, कहानियाँ, नाटक, चुटकुले, विज्ञापन लगाने आदि और इस भागीदारी में यह सुनिश्चित हो कि बच्चे अपनी प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण करें। इस तरह का वातावरण सृजित करने का एक हिस्सा यह है कि बच्चे जिन भाषाओं और सांस्कृतिक व्यवहारों को लेकर पाठशाला आते हैं, उनका अवश्य सम्मान हो और शिक्षण की प्रक्रिया में सृजनात्मक रूप से उनका उपयोग किया जाए। सामान्यतः द्वितीय भाषा शिक्षण की प्रक्रिया घनिष्ठ रूप से प्रथम भाषा सीखने के लिए काम में

आनेवाली परिस्थितियों के निकट होनी चाहिए। वास्तव में यह एक कठिन कार्य है लेकिन इस तरह की निकटता हमेशा संभव है।

1.14 भाषा और समावेशी शिक्षा

हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सभी में कुछ खास तरह की या दूसरे प्रकार की निःशक्तता है। बच्चे और बूढ़े लोगों को हमेशा मदद की जरूरत होती है, कुछ लोग गा नहीं सकते, कुछ लोग गंभीर हृदय या मस्तिष्क समस्याओं से पीड़ित होते हैं। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमने 'पूर्ण मानव' जो वास्तव में मौजूद नहीं है, की कल्पना करके एक संसार का सृजन किया। सभी लोगों को सुरक्षित रास्ते की जरूरत है केवल दृष्टिहीन लोगों को नहीं। हमें ऐसी पाठशालाओं का निर्माण करना है जो कि सभी निःशक्त लोगों जैसे दृष्टिहीन, मूक, बधिर या पंगु की पहुँच में हों। हमें ऐसी पाठशाला का निर्माण करना है जो सभी बच्चों को समृद्ध, बौद्धिक और सांस्कृतिक माहौल प्रदान करें। ठीक इसी तरह भाषा की समस्याओं से ग्रस्त बच्चों के लिए सारे प्रावधान बनाने की जरूरत है। मूक–बधिर के संबंध में हमें अवश्य महसूस करना चाहिए कि उनके पास संकेत भाषा है जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी या तेलुगु के समान ही एक व्यवस्थित भाषा है। यह यथोचित है कि अधिकारियों ने स्कूलों में संकेतकों की उपलब्धता का कोई प्रावधान नहीं बनाया। यह मात्र बहुभाषिकता का सम्मान और सावधानीपूर्वक उपयोग ही है, जो विभिन्न भाषिक समस्याओं से ग्रस्त/क्षमताओं के व्यक्तियों के लिए सम्मान की जगह आश्वस्त कराती है।

यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारे कक्षाकक्ष ऐसे में बच्चे भी होते हैं जो विशेष आवश्यकतावाले हैं जो भाषा सीखने के दौरान पीछे रह जाते हैं। दशकों के विभिन्न शोध यह दिखाते हैं कि इस समस्या का सबसे उपयुक्त हल यह हो सकता है कि हम समावेशी भाषा अधिगम वातावरण स्कूलों में सुनिश्चित करें।

कठिनाइयों के विवरण के आधार पर खास भाषाई समस्या जैसे डिसलेक्सिया, विशिष्ट भाषा क्षतिग्रस्तता, ध्यान की कमी (Attention Deficit Disorder) न्यून दृष्टि, श्रवण क्षमता की क्षति आदि समस्याओं से ग्रस्त बच्चों के लिए रोग निदान सम्पन्न किया जाना चाहिए। इससे पार पाने के लिए कक्षा–कक्ष में समावेशी अधिगम वातावरण निर्मित करना होगा।

समावेशी कक्षा–कक्ष का मतलब है ऐसा शिक्षण अधिगम वातावरण निर्मित करना जो कि हर स्तर पर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उन्हें सहयोग दे। कुछ बच्चों को विशेष सहायता की जरूरत पड़ती है, जो कि अवश्य ही विशेष पाठशालाओं में दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक संभव प्रयास करना चाहिए ताकि इन बच्चों को सामान्य कक्षा–कक्ष से

बच्चे को बाहर निकलने को मजबूर नहीं होना पड़े। उदाहरण के लिए मूक–बधिर के संबंध में संकेतक की सहायता से सामान्य कक्षा–कक्ष में पढ़ना संभव है। दृष्टिहीन बच्चों को फायदा हो सकता है यदि उनके लिए ब्रेल और अन्य सॉफ्टवेयर कार्यक्रम जैसे बोलती किताबें आदि हों।

1.15 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई. – 2009) और भाषा के मुद्दे

बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 छह वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। इसका लक्ष्य यह भी है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.–2009) कहता है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें, आकलन प्रक्रियाएँ (सतत व समग्र मूल्यांकन सी.सी.ई.) आदि निर्मित किये जाने चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस संदर्भ में अधिनियम में दी गई भाषा संबंधी धाराओं के बारे में शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, अभिभावकों, सामाजिक नेताओं की समझ होनी चाहिए। धारा 8 (C) (RTE 2009:4) सुझाती है कि ''सरकार को यह आश्वस्त करना होगा कि समाज के कमजोर और वंचित समूह के बच्चों को किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा पाने और पूरा करने में किसी भी तरह का न तो भेदभाव किया जाय और न ही रोका जाये। यह धारा बच्चों को भय, सदमा, चिंता से मुक्ति और स्वतंत्र रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करने में भी मदद करती है।(RTE 2009,Section 29.2g:9) यह भी सुझाती है कि जहाँ तक व्यावहारिक हो, निर्देश का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो।(RTE 2009,Section 29.2f:9) किसी तरह से आश्वस्त हो कि बच्चों कि भाषाएँ सम्मान प्राप्त करें। हमारे द्वारा सुझाए गए बहुभाषिक शिक्षण शास्त्र का अनुसरण करना ही आश्वस्त होने का एक मात्र तरीका है।

अध्याय – II खण्ड – 4 कहता है–

''यदि कोई बच्चा छह वर्ष की आयु तक किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है या अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है।''

जहाँ बच्चे ने अपनी उम्र के अनुरूप सीधा प्रवेश उपयुक्त कक्षा में, उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए विशेष प्रशिक्षण, जो कि निर्धारित समय–सीमा पर पाने का भी अधिकार होगा।(RTE 2009:3) उक्त खंड के अनुसार जिन बच्चों को विशेष भाषाई समस्याएँ जो कि पढ़ने व लिखने कि हों, वे विशेष प्रशिक्षण व अवधान पाने के अधिकारी हैं।

SCERT TELANGANA

ये सभी प्रावधान आश्वस्त कराते हैं कि बच्चों को भाषा के आधार पर भेदभाव न दिखायें। शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है, जो सभी बच्चों की भाषाओं की गरिमा बहुभाषिकता की रूपरेखा में कार्य करने का आश्वासन दिलाता है।

अध्याय –V खण्ड – 29 यह कहता है–

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए निम्नांकित विचार ध्यान में रखने होंगे–

(अ) संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता

(ब) बच्चे का सर्वांगीण विकास

(स) बच्चे का ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास

(द) शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास

(ई) बाल केंद्रित और बाल मित्रवत

तरीके से विभिन्न, क्रिया–कलाप अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करना

(फ) जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो

(जी) बच्चे को भय, सदमा और चिंतामुक्त बनाना और अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना

(एच) बच्चे की ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन।

1.9 नये दृष्टिकोण के कक्षा–कक्ष में निहितार्थ

विविध शोध अध्ययनों से यह पता चलता है कि एक ओर बहुभाषिकता और दूसरी ओर भाषाई दक्षता, शैक्षिक उपलब्धि, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक सहिष्णुता के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। इसलिए कक्षा–कक्ष में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के पर्याप्त कारण हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक–दूसरे के समूह में भाषाएँ फलती–फूलती हैं। जब वे पाठ्यपुस्तकों, शब्दकोशों और व्याकरण में जकड़ जाती हैं तो मृत हो जाती हैं।

भाषा की सीमाएँ छिद्रिल होती हैं। प्रायः वे सरलता से एक–दूसरे में प्रवाहित होती हैं। हम निरन्तर रूप से दूसरी भाषाओं से शब्द और भाव उधार लेते हैं। इसलिए भावानुवाद, अनुवाद, कूट मिश्रण और कूट परिवर्तन आदि बच्चों की व्यवस्था के बढ़ावे के लिए भाषाओं के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग किये जा सकते हैं। कक्षा–कक्ष में उपलब्ध बहुभाषिकता का संसाधन और शिक्षण–युक्ति के रूप में उपयोग में भी सहायता करती है।

SCERT TELANGANA

यह संभव है कि भाषा के ऐसे क्रियाकलाप बनाये जायें जो किसी कक्षा के सारे बच्चों की भाषाओं को शामिल करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बच्चों से उनकी अपनी भाषाओं के लिए बहुवचन बनाने के नियम निकालने के लिए कह सकते हैं और उसे अंग्रेजी में कह सकते हैं। वे छोटे समूहों में काम कर सकते हैं, एकवचन और बहुवचन के लिए आँकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं, परिवर्तनों का अवलोकन कर सकते हैं और समानता व विषमता के आधार पर वे उन्हें कई श्रेणियों में बाँट सकते हैं और नियम निकाल सकते हैं, जिसकी जाँच वे और अधिक आँकड़ों के लिए कर सकते हैं। कूट मिश्रण (कोड मिक्सिंग), कूट परिवर्तन (कोड स्विचिंग) और अनुवाद ऐसी कक्षाओं में स्वागत योग्य हस्तक्षेप हैं। विभिन्न भाषाएँ संस्कृतियों, रीति–रिवाजों और लोक परम्पराओं के लिए भी द्वार खोलती हैं।

यदि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि RTE 2009 के प्रावधानों का सम्मान हो, कमजोर व सुविधाविहीन वर्गों के बच्चों के साथ भेदभाव न हो और उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने में सहयोग देना चाहते हैं तो हमें उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य अपनाना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाषाई विविधता और सांस्कृतिक आचरण, जो कि बच्चा स्कूल में लेकर आ रहा है, ये शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बने और इन्हें हाशिये पर ना धकेला जाय तो हमें ऐसी रणनीतियाँ बनानी होंगी जो कि विश्लेषणात्मक चिंतन व संज्ञानात्मक विकास में कक्षा की बहुभाषिकता के संसाधन के रूप में इस्तेमाल को बढ़ावा दे।

SCERT TELANGANA

3. भाषा अधिगम – उपलब्धियाँ

परम्परागत रूप से अधिगम उपलब्धियों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जैसे अलग–अलग कौशलों के अर्थ में देखा जाता रहा है जबकि भाषाई उपलब्धियों के लिए हमें एक समग्र नजरिये की जरूरत है जैसा कि भाषा शिक्षण के लिए हमने समग्र नजरिया पहले सुझाया है। अतः भाषा उपलब्धियों के लिए हमें अधिक समग्र परिप्रेक्ष्य की जरूरत है।

भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के लिए हमने और अधिक समग्र परिप्रेक्ष्य सुझाये हैं। हर समय हम बच्चों के द्वारा उत्पादित संवादों का मूल्यांकन (आकलन) करना चाहते हैं। इन संवादों में केवल सुनाना, बोलना, पढ़ना और लिखना ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा के उचित प्रयोग और विविध दृश्य माध्यम जैसे चित्रकारिता (ड्राइंग/पेंटिंग) भी होंगे। भाषाई उपलब्धियों में मुख्यतः ध्यान अर्थ के साथ पढ़ने व लिखने पर होना चाहिए। इसे बच्चों को दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुनने और उनसे आत्मविश्वास के साथ बोलने में सहायक होना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देना है कि भाषा–शिक्षण कार्यक्रम बच्चों को पहले–पहल उनकी मातृभाषा में सक्षम बनाए। एक बार यह आश्वस्त हो जाय तो यह बच्चों को दूसरी भाषाओं तथा विषयों में उच्च स्तर तक प्रवीण बनाने में लंबी दूरी तक सहायक होगी।

अपेक्षित उपलब्धियाँ

भाषा शिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इस पत्र में सुझाये गये निम्नांकित अंशों में बच्चों को योग्य बनाना चाहिए। इस आधार पत्र में सुझाये गये भाषा शिक्षण कार्यक्रम से गुजरने वाले बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के अंत तक निम्नलिखित चीजें करने में सक्षम होंगे–

1. सुनना, समझना और प्रतिक्रिया :

वे दूसरों को सुनने एवं समझने व उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे सकें जो उस व्यक्ति, स्थान एवं संभाषण के अनुकूल हो। वे पूर्वानुमान लगा सकें कि उन्हें क्या करना है। वे उस प्रकार के संवादों/चर्चा क्रियाओं में भाग लें जहाँ उन्हें जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहने का मौका मिले। छोटी–छोटी बातों पर उत्तेजित होने के बजाय वे तार्किक चर्चाओं में शामिल होने में सक्षम हो सकें।

2. उपयुक्त बातचीत :

सामान्यतः बोलने को एक यांत्रिक क्रिया के रूप में लिया जाता रहा है। विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं में जहाँ बच्चा शिक्षक द्वारा कहे गए छोटे–छोटे गीतों व कविताओं को सूत्रबद्ध

रूप में पुनः प्रस्तुत या अभिवादन करता है। बच्चे पहले से ही जानते हैं कि उन्हें विविध व्यर्थ स्थानों एवं विषयों के संदर्भ में किस प्रकार अपनी भाषा का प्रयोग करना है।

विद्यालय में औपचारिक चर्चाओं द्वारा इसे और अधिक मजबूती प्रदान करने की जरूरत है।

3. अर्थ ग्रहण के साथ पढ़ना :

बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के वाचन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। वे अपने स्तर की लिखित सामग्री समझ सकें। पाठशाला के समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बच्चों में अर्थग्रहण करते हुए पढ़ने की उच्च स्तरीय प्रवीणता कैसे विकसित की जाये। यह केवल ऐसी सामग्री द्वारा संभव है जो बच्चों को अर्थपूर्ण, रोचक व चुनौतीपूर्ण लगे। जब तक बच्चों को विविध विषयों की विविधता के द्वारा जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलता, तब तक वे अपनी पाठ्यपुस्तकों के बाहर प्रगति करने में योग्य नहीं बन सकते। यह तभी संभव है जब बच्चे किसी विषय का तार्किक विश्लेषण तथा उसे अनुक्रम चार्ट (फ्लो चार्ट) आदि में स्थानांतरित कर सकें।

4. लेखन (लिखना) :

अधिकांश अध्यापक और अभिभावक सोचते हैं कि बच्चे पहली बार पाठशाला आने पर लिखना शुरू करते हैं। वास्तव में बच्चे उसी समय से अपने तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं जब वे आड़ी–तिरछी रेखाएँ खींचते हैं। यदि उन्हें पाठशालाओं में स्वतंत्र रूप से लिखने का प्रोत्साहन दिया जाय, तो वे अत्यंत शीघ्र गति से सीखेंगे। प्राथमिक चरणों में मूल्यांकन करते समय ध्यान बच्चों की त्रुटियाँ पकड़ने के बजाय उन्हें अपनी इच्छानुसार लिखने के लिए प्रोत्साहित करने पर रहे। लेखन यांत्रिक कौशल नहीं है, यह एक सृजनात्मक क्रियाकलाप है।

5. शब्दावली

शब्द अलग–थलग करके नहीं सीखे जा सकते, ऐसे सीखना भी नहीं चाहिए। दुर्भाग्यवश शब्दावली पर समकालीन दृष्टिकोण हमेशा से पृथक्–पृथक् शाब्दिक तत्त्वों पर रहा है। जबकि शब्द का अर्थ इस बात पर निर्भर है कि उसका किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो इसे कैसे पढ़ाया जाये? कैसे परखा जाये? जबकि एक ही शब्द विविध संदर्भों में विविध अर्थ देता है। शब्द भंडार को भाषा–शिक्षण के महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब बच्चों को संदर्भानुसार शब्दों के अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

6. सृजनात्मक अभिव्यक्ति :

बच्चों में कल्पनात्मक अभिव्यक्ति केलिए विभिन्न दक्षताएँ निहित होती हैं। उन्हें अपने विचार मौखिक तथा लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चे अपनी खुद की कहानियाँ, गीत, संवाद, पत्र, करपत्र, स्वपरिचय, सूचनाएँ, विज्ञापन, नाटक आदि

SCERT TELANGANA

का सृजन कर सकें। क्योंकि जैसे–जैसे वे बड़ी कक्षाओं में जायें, आपस में मिलकर किसी नाटक आदि का सृजन करने में सक्षम हो सकें। पुस्तकों की समीक्षा, प्रतिवेदन, चर्चा, सामूहिक क्रियाकलापों में भाग लेना, भाषण देना आदि ये सब बच्चों के सृजनात्मक अभिव्यक्ति को इंगित करते हैं।

सौंदर्यशास्त्रीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी :

बहुभाषिक ढाँचे के तहत किये जानेवाले भाषा शिक्षण की बड़ी उपलब्धियों में से एक यह हो सकती है कि बच्चों की सौंदर्यशास्त्रीय संवेदना समृद्ध की जाये ताकि वे कविता व उसकी संरचना को बेहतर समझ सकें। हम यह भी आशा कर सकते हैं कि वे ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बन पाएँगे जो दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो।

1. सौंदर्यशास्त्रीय संवेदनशीलता :

भाषा कक्षा–कक्ष बच्चों को विविध संस्कृतियों से परिचित कराने एवं विविध भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है। बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक सरल कविताओं, कहानियों तथा अन्य विषयों को समझकर सराह सकें और साथ ही साथ वे किसी विषयवस्तु पर चर्चा में शामिल होने हेतु महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाने में सक्षम हों।

2. सामाजिक जिम्मेदारी :

सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विद्यालय में सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह अत्यंत अमूर्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्रायः शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ने में असफल रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को वास्तविक जीवन के निकट ले जाना और उनमें अन्य विषयों के प्रति जागरूकता का निर्माण करना प्राथमिक शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जानी चाहिए। वैसे यह कार्य सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में ही किया जायेगा। फिर भी स्कूली शिक्षा के शुरुआत के वर्षों में, भाषा की कक्षा कविता, कहानी आदि के माध्यम से इंसान की दूसरे इंसानों के प्रति संवेदनशीलता जगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अधिभाषिक चेतना

हाल ही के शोधों से पता चला है कि अधिभाषिक चेतना अर्थात भाषा के अवचेतन ज्ञान के बारे में चेतन सजगता भाषाई दक्षता और अकादमिक उपलब्धियों से बहुत ही सकारात्मक रूप से सहसम्बन्धित है। एक बहुभाषिक कक्षा, भाषा कैसे काम करती है को समझने की आदर्श जगह है। उदाहरण के लिए बच्चे अचानक ही यह खोज कर सकते हैं कि वे सभी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए एक जैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। बजाय इसके कि बच्चे व्याकरण के नियमों को रटें वे ध्वनि,शब्द और वाक्य के स्तर पर भाषा के नियमों पर वैज्ञानिक रूप से परीक्षण कर सकते हैं।

4. विधियाँ, पाठ्य पुस्तकें और सामग्री

परिचय :

जब बच्ची स्कूल में प्रवेश करती है तो उसे पहले से ही घर की और आस–पड़ोस की भाषा पर पुरा अधिकार होता है। जैसा कि पहले ही उल्लेखित किया जा चुका है वह उन सभी नियमों जिनसे उसकी भाषा, ध्वनि, शब्द व वाक्य के स्तर पर संचालित होती है उनका विस्त्त ज्ञान लेकर स्कूल आती है हालाँकि यह ज्ञान अचेतन होता है। उसे यह भी पता है कि कैसे भाषा का उचित और कल्पनाशीलता के साथ उपयोग करना है। यह इसलिए आश्चर्यचकित करता है कि इतना होते हुए भी स्कूल में बच्चों की भाषाई दक्षता निपुणता का स्तर रहता है। न केवल वे पर्याप्त रूप से नई भाषा सीखने में असफल होते हैं। बल्कि जो भाषा उन्हें पहले से आती है उसमें भी पढ़ने व लिखने जैसे कौशलों पर उनकी पर्याप्त पकड़ नहीं होती है। साथ ही वे भाषा का ज्यादा अमूर्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

इसका मतलब, जरूर हमारे बच्चों को भाषा पढ़ाने के तरीकों में ही कुछ खामियाँ है। वास्तव में हमें कभी इस प्रकार के सवाल नहीं पूछते हैं जैसे–

- बच्चे कौन–कौन–सी भाषाएँ स्कूल में लेकर आते हैं? ज्यादातर मामलों में, अध्यापक बच्चों द्वारा बोली जानेवाली भाषाओं के प्रति जागरुकता ही नहीं होते हैं।
- क्या कोई तरीके है जिनमें हम बच्चों कि भाषा का उपयोग करते हुए भाषाई नियमों की खोज, अधिभाषा वैज्ञानिक समझ के निर्माण की जागरुकता तथा भाषा प्रवीणता में वृद्धि कर सकते हैं?
- बच्चों ने उन भाषाओं को कैसे सीखा होगा?
- बच्चे किस तरह का भाषाई ज्ञान लेकर स्कूल आते हैं?

अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बच्चे भाषार्जन सहज वातावरण में करते हैं जहाँ आगत (इनपुट) समृद्ध और अर्थपूर्ण होता है तथा संपूर्ण वातावरण प्यार व देखरेख भरा होता है। अतः कक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ जहाँ तक संभव हो इस तरह के वातावरण के ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो। बच्चों को समृद्ध, सृजनशील व सन्दर्भ की सामग्री जो कि उनके लिए रोचक तथा चुनौतीपूर्ण हो, देने के बजाय हम उन्हें उबाऊ व प्रायः सीख देनेवाले पाठ सामग्री देते है और नियम याद करने तथा अभ्यास करने के लिए बाध्य करते हैं जो कि याद किए हुए को उगलने की कवायद के अतिरिक्त कुछ नहीं होते हैं। अधिकांश समय बच्चों को ऐसे

SCERT TELANGANA

अभ्यास कार्य दिये जाते हैं जिनमें स्थानीय पठन ग्राह्मता, शब्द के अर्थ, व्याकरण अभ्यास तथा कुछ लेखन क्रियाकलाप सम्मिलित रहते हैं। इनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो बच्ची प्राकृतिक रूप से भाषा सीखने की स्थितियों में करती हो। वह वास्तव में अपनी भाषाई योग्यता का नई–नई स्थितियों में उपयोग करती है, वह नये लोगों से नयी चीजों के बारे में बात करती है, वह नये वाक्य बनाती है और खेलने व गाने में भाग लेती है, अगर आप एक बच्ची को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि वह जिस भाषा को जानती है, उसमें लगातार कुछ नया करती रहती है। हो सकता है वह कोई एक शब्द सीखे व उसका उपयोग कई अलग–अलग चीजों के लिए करे जो कि बड़े नहीं करते हो। हो सकता है वह उन भाषाओं को आपस में मिलाकर बोले जिन्हें उसने रोचक तरीको से सीखा हो। वही दूसरी और वह अपने भाषाई तन्त्र को दूसरों से अलग रखना भी सीखती है। कल्पना कीजिए एक बच्ची हैदराबाद में पली बड़ी है जिसके पिता पंजाबी है और माँ बंगाली है। बहुत जल्दी वह अपनी माँ से बंगाली में, पिता से पंजाबी में व दोस्तों से तेलुगु या हिन्दी में बात करने लगेगी।

इसी क्रम में उचित विधियों तथा सामग्रियों के निर्माण हेतु, हर किसी को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए–

- भाषा की प्रकृति
- बच्ची का भाषाई सामर्थ्य और क्षमता
- कक्षा–कक्ष में भाषा की बहुलता
- अपेक्षित उपलब्धियाँ/शैक्षिक मानदंड

एन.सी.एफ.–2005 तथा रा.शै.अ.प्र. परिषद् के आधार पत्रों का मार्गदर्शन (रटंत अधिगम से दूर रहना, अर्थपूर्ण ढंग में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन करना, भाषा संरचना, ज्ञान का अन्वयन, सीखना केवल निर्धारित पाठ्यपुस्तकों तक सीमित ना रहे अतिरिक्त पठन सामग्री, तनावमुक्त अधिगम वातावरण तथा मूल्यांकन (आकलन) आदि)।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 का मार्गदर्शन (भेदभाव रहित कक्षा–कक्ष, सवैधानिक मूल्य, बच्चों का सर्वांगीण विकास, कौशलों की वृद्धि, सतत समग्र मूल्यांकन आदि।)

शिक्षण अधिगम अभ्यास और रणनीतियाँ :

ऊपर की गई चर्चा से यह पता चलता है कि–

- वे सभी हरसंभव प्रयास किये जाने चाहिए जो कि सहज रूप से भाषा सीखने के नज़दीक हो।

- कक्षा–कक्ष में बच्चों को अपनी भाषाओं का उपयोग करने की आज़ादी हो। उनमें बहुत सी भाषाएँ सीखने की क्षमता है।
- बच्चों को उस तरह के संवादों में व्यस्त होने/भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो उन्हें भाषा के कल्पनाशील प्रयोग के मौके देगा।
- भाषा अधिगम के लिए समग्र प्रक्रिया अपनानी चाहिए। शिक्षण के मूल में कोई एक चर्चा, एक संवाद, एक कविता या एक कहानी अवश्य होगी। केवल शब्दों व वाक्यों से किसी भी कीमत पर बचना होगा।
- हमें व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए। इसे कक्षा में उपलब्ध भाषाओं तथा लक्ष्य भाषाओं के पालन, अवलोकन तथा विश्लेषण के माध्यम से सिखाना चाहिए।
- बहुभाषी कक्षा–कक्ष के बच्चों में भाषा अधिगम दक्षताओं को बढ़ावा देने के लिए अनुवाद क्रियाकलाप, चर्चा, मुद्दे और प्रश्न तैयार करने जैसे परियोजना कार्य करवाना चाहिए।
- सभी गतिविधियाँ बच्चों में विविधता के स्तरों के लिए सहायक होना चाहिए। सभी बच्चे सभी कामों में कुछ न कुछ कर सकने में योग्य हों।
- अन्तर्निहित सामर्थ्य व समृद्ध मौकों की वज़ह से बच्चे सहज वातावरण में बोली जाने वाली भाषा के तन्त्र या उसकी व्यवस्था को दूसरी भाषाओं से अलग कर लेते हैं। यही काम वे पढ़ना व लिखना में भी कर पाएंगे यदि हम कक्षा में सहज अधिगम माहौल बनाने में सफल हो सके।
- बच्चे अधिकतर बाल समूह में रहकर ही सीखते हैं। इसलिए हमें कक्षा में सामूहिक गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
- मस्तिष्क मंथन, सामूहिक पठन, चर्चाएँ, प्रतिवेदन लिखना, प्रतिक्रिया देना, दीवार पत्रिकाए, दृश्यरूप वर्णन, नाटकीकरण, कठपुतली का तमाशा, परियोजना कार्य आदि बच्चों को भाषा सिखाने हेतु सभी स्तरों पर उपयोगी तकनीक है।
- कई तरह के पाठ जो पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित नहीं है उसे कक्षा–कक्ष में लाने के लिए अध्यापकों को नहीं हिचकना चाहिए। वास्तव में संसार में फैली हुई सारी भाषाई सामग्री का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रायः यह संभव है कि विज्ञापन, समाचार पत्र, पट विज्ञापन, पर्चे आदि में लिखी बातों को प्रभावी ढ़ग से उपयोग किया जा सकता है।

SCERT TELANGANA

पाठ्यपुस्तक और अन्य भाषा–स्रोत

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 ने प्रस्तावित किया है कि भाषा अधिगम मात्र पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि अन्य सामग्री का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यह इसे भी सुझाती है कि नवीन बाल–केंद्रित शिक्षा–शास्त्र को बहुभाषिकता में आधार बनाना चाहिए, अर्थात कक्षा–कक्ष में उपस्थित, बच्चों की भाषाओं को गिनती में लेना चाहिए। स्कूल में भाषाई माहौल के लिए पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त शब्दकोशों की उपयोगिता, संदर्भ ग्रंथ, पुस्तकालय की पुस्तकें आदि महत्त्वपूर्ण हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.–2009) के सिद्धान्त व मानकों के अनुसार हर पाठशाला में पुस्तकालय होना चाहिए और इसे समय–समय पर सुदृढ़ बनाना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि निःशक्त बच्चों को आवश्यक विशेष सामग्री और तकनीकी सहायता देनी है। ब्रेल में उपलब्ध पुस्तकों का तथा अन्य अंकीय प्रारूपों (डिजिटाइट फॉरमेट्स) का प्रबंध करना चाहिए। हर पाठशाला में एक संकेतक का भी प्रबंध होना चाहिए।

1. पाठ्यपुस्तकें :

भाषा की पाठ्यपुस्तकों में निम्नांकित विशिष्ट गुण होने चाहिए।

- चूनी गई सामग्री बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर व उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से मेल खानेवाली हों।
- वे छात्रों को कक्षावार वांछित भाषा दक्षताओं, अपेक्षित मानदंड तथा अधिगम उपलब्धियों को प्राप्त करने में सहायक होनी चाहिए।
- प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में आकर्षक तथा चिंतनोत्तेजक चित्र हो तथा उनमें बाल–वातावरण का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। उच्च गुणवत्तावाला कागज और मुद्रण का उपयोग करना चाहिए और सही चित्रों का अंकन आदि में ध्यान देना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा विभिन्न क्षेत्रों के सभी छात्रों की समझ में आनी चाहिए। इसमें स्थानीय भाषा को महत्त्व देना चाहिए, जिसका बच्चे स्वभाषा का स्वतंत्र रूप में इस्तेमाल कर सकें।
- इसमें उचित अभ्यासों का समावेश होना चाहिए, जिससे बच्चे कक्षावार निर्धारित विधाओं को निष्पादित करने में सक्षम बनें।

SCERT TELANGANA

- भाषा की पाठ्यपुस्तकों के पाठ विभिन्न विधाओं पर आधारित होने चाहिए जैसे– गीत, कहानियाँ, वार्तालाप, आत्मकथाएँ, निबंध आदि भाषा विकास संबंधी ये विधाएँ रुचि, उत्सुकता, चिंतन, आदि का सृजन करेंगी।
- प्रारंभिक स्तर पर पाठों का चयन प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य से किया जा सकता है, जो कि बच्चों कि आयु तथा उनके स्तर के अनुरूप होना चाहिए। बच्चों के लिए सामग्री छाँटते समय यह बात आवश्यक रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि वह हमारे देश के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन ना करते हो तथा सभी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रोत्साहित करने व बनाए रखने वाले हो।
- चयनित पाठ ऐसे होने चाहिए जो विभिन्न क्षेत्र, आयु और भाषा रूपों का प्रतिनिधित्व करें।
- स्व–अधिगम अभ्यासों को प्रधानता दी जानी चाहिए।
- भाषा–अभ्यास अन्वेषण, शोध, अवलोकन को अवसर देने वाली गतिविधियों के रूप में होने चाहिए। इनमें कूट प्रश्न, मैट्रिक्स, पहेलियाँ, भाषा–खेल आदि का भी समावेश हो।
- स्वमूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए पाठ्यपुस्तक में स्थान देना चाहिए।
- उबाऊपन तथा एकस्वरता को दूर करने के लिए पाठों का प्रारंभ सोचने व विचार करने वाले प्रश्नों से होना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक में शामिल चित्र बच्चों की सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता आदि को बढ़ाने वाले तथा संदर्भ से जुड़े होने चाहिए।
- पाठ्यपुस्तकों के अभ्यास कार्य व्यक्तिगत, सामूहिक तथा पूरी कक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देनेवाले होने चाहिए।
- अभ्यास चिन्तनोन्मुख तथा अन्वेषणात्मक होने चाहिए। यांत्रिक उत्तरों की ओर बढ़नेवाले कामों से बचना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य छात्रों को अतिरिक्त पठन सामग्री पढ़ने को प्रेरित करे ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से पढ़नेवाले बन जाये।
- बच्चे संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनें। इस शब्दावली के आधार पर अभ्यास कार्य दिया जाना चाहिए।
- अध्ययन–कौशल के सुधार के लिए पाठ्यपुस्तक के अंत में अक्षरमाला क्रमानुसार (पाठाधारित शब्द और उनके अर्थ पर आधारित) एक छोटा–सा शब्दकोश रखना चाहिए।

- पाठ में अंतर्निहित व्याकरण के पद्यांश संदर्भ के अनुसार देने चाहिए, जिससे बच्चे स्वयं व्याकरण के नियमों को सुत्रबद्ध कर पाएँ। इस प्रक्रिया में छात्रों की भाषा को शामिल करना अध्यापक के लिए बहुत आसान है।
- निम्नलिखित रूपों में अभ्यास दिये जा सकते हैं–
  – कविता और कहानियों का विस्तारीकरण (पंक्तियाँ जोड़ना)
  – कहानियों का निष्कर्ष निकालना
  – वार्तालाप लिखना
  – कठपुतली
  – नाटकीकरण
  – एकल अभिनय
  – समीक्षाएँ
  – वर्णन
  – अनुवाद
  – परियोजना कार्य
  – पहेलियाँ
  – सांस्कृतिक गीत
  – कहावतें
  – मुहावरे आदि
- भाषा की प्रारम्भिक पुस्तकों (प्रारम्भ करनेवालों के लिए) में भाषा का अलग–थलग रेखीय तथा विघटित ढंग से (अक्षर (क्रम में), अलग–थलग वाक्य) नहीं करना चाहिए। आधुनिक भाषाविदों के अनुसार अक्षरों का परिचय अर्थपूर्ण संदर्भों में किया जा सकता है। इसके लिए–

  संदर्भ → विद्या → वाक्य → शब्द → अक्षर की विधि का अनुसरण किया जा सकता है।
- भाषा की पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय रीति–रिवाजों, संस्कृति तथा परंपराओं का प्रतिबिंबन होना चाहिए। इनमें स्थानीय कलाओं जैसे– बुर्रकथा, ओग्गुकथा, हरिकथा, पल्लेसुद्दुलु, यक्षगानम, कोलाटम, बुडबुक्कलाटा, चिडतल भजन, आदि का भी प्रतिबिबन होना चाहिए।
- सतत समग्र मूल्यांकन के लिए पाठ्यपुस्तक उपयुक्त हो।

SCERT TELANGANA

भाषा–अधिगम अतिरिक्त सामग्री :

- बच्चों को अपनी भाषाइ दक्षता बढ़ाने के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

1. शब्द कोश :

- शब्दकोश भाषा का अद्‌भुत साधन है, इसलिए ये बच्चों की पहुँच में होने चाहिए।
- प्राथमिक स्तर पर बच्चों को चित्रात्मक शब्दकोशों तथा लघु शब्दकोशों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाय।
- बच्चों को अर्थ, वाक्य–नमूने और शब्दावली की उपयोगिता का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय।

2. संदर्भ पुस्तकें :

- प्राथमिक स्तर पर संदर्भ–पुस्तकें जैसे– एकलव्य की किताबें, खुशी–खुशी, मजे–मजे में भाषा–शिक्षण आदि बच्चों की पहुँच में होनी चाहिए। इससे उनमें पढ़ने की आदत पड़ जाएगी।
- ये पुस्तकों सौंदर्य भाव तथा भाषा की सुंदरता की आनन्द प्राप्ति में सहायक होती हैं।
- संदर्भ–पुस्तकों का पठन साहित्य में रुचि उत्पन्न करता है।

3. अभ्यास–पुस्तकें :

- अभ्यास–पुस्तकें छात्रों के लिए निम्नांकित बातों में सहायक होती हैं–
  – स्व अभ्यास, स्व आकलन, स्व अभिव्यक्ति
- अभ्यास–पुस्तकों को सरल, स्व व्याख्यात्मक और पाठांतर्गत अभ्यासों का व्यापक रूप में होना चाहिए।

4. बाल साहित्य :

- बच्चों बाल साहित्य उपलब्ध होना चाहिए। इसमें कहानियों की किताबें, जीवन की कहानियाँ, आत्मकथाएँ, बालगीत आदि होने चाहिए।

SCERT TELANGANA

5. दीवार–पत्रिका :

- दीवार पत्रिका वह स्थान है जहाँ बच्चों की सृजनात्मकता दिखाई देती है। दीवार पत्रिका में बच्चों द्वारा बनाए कार्टून, तुक बन्दी वाले गीत, कविताएँ, पहेलियाँ, चित्र, एकत्र की गई जानकारी/चीज़ें आदि प्रदर्शित होनी चाहिए।

6. विभिन्न पाठ्यपुस्तकें :

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 कहती है कि बच्चों को विभिन्न पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवानी चाहिए। सरकारी और निजी विद्यालयों को खूद से पाठ्यपुस्तकें चूनने की अनुमति होनी चाहिए।

7. वैकल्पिक सामग्री :

- बच्चों में भाषाई दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक सामग्री का अर्थपूर्ण संदर्भ में इस्तेमाल होना चाहिए : चाट्र्स, फ्लेश कार्डस, चित्र, पोस्टर, छायाचित्र, एलबम, रेडियों, टेपरिकॉर्डर, टेलीविजन, फिल्म्स, कठपुतलियाँ, स्कूल, पुस्तकालय।

SCERT TELANGANA

5. आकलन प्रक्रियाएँ

भूमिका :

आकलन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है। यह उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है जो बच्चे के सीखने के विकास में सहायक होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आकलन को परीक्षा के सीमित अर्थों में देखा जाता रहा है जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा घबराहट लाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 सुझाती है– ''बच्चों से दबाव भय व घबराहट हटाने के लिए आकलन प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए।'' शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के उपभाग 29 (2) में भी कहा गया है–

29 (2) उपखण्ड (1) के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाली शैक्षणिक प्राधिकारी इन बातों पर ध्यान देगा–

(1) संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता;

(2) बच्चे का समग्रता में विकास;

(3) बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास;

(4) शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास;

(5) बाल–केन्द्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करना;

अर्थपूर्ण आकलन :

वर्तमान आकलन प्रक्रियाओं को सरल व अर्थपूर्ण बनाने के क्रम में हमें निम्नलिखित के बारे में सोचना होगा–

1. क्यों वर्तमान परीक्षा प्रणाली बच्चों में अत्यधिक दबाव, भय और घबराहट पैदा करता है?
2. बच्चों का अधिगम स्तर जाँचने के लिए परीक्षाओं पर निर्भर रहना जरूरी है?
3. क्या वर्तमान परीक्षाएँ बच्चों की भाषाई दक्षताएँ जाँचने में वास्तव में हमारी कुछ मदद करता है?
4. क्या परीक्षा में दिए जाने वाले प्रश्न बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता पता लगाने में हमारी मदद करते हैं?
5. सतत् व व्यापक मूल्यांकन (CCE) के बारे में हम क्या सोचते हैं?

यदि उपर्युक्त सवालों का हम समालोचनात्मक विश्लेषण करें हम निम्नलिखित बिन्दुओं पर पहुँचेंगे–

- परीक्षाओं में दिए जाने वाले सवाल सामान्यतः रटना सीखने को ही जाँचते हैं।
- वर्तमान परीक्षा प्रणाली खासतौर पर भाषा की परीक्षा में विषयवस्तु से जुड़े मुद्दों और रटकर सीखी व्याकरण पर ही स्थान दिया जाता है और बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनशीलता पर तनकि भी ध्यान नहीं दिया जाता है।
- केवल लिखित रूप में ही आकलन किया जाता है। बोलने की क्षमता और सुनकर समझना को हमेशा उपेक्षित किया जाता है। परीक्षा में दिए जाने वाले जाँच के तरीके प्रश्नों, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मिलान करने तक सीमित है।

आकलन, बच्चे के सीखने में विकास के बारे में जानने में सहायक होना चाहिए और इस ज्ञान का प्रतिपुष्टि के रूप में उपयोग होना चाहिए ताकि बच्चे व शिक्षक दोनों को इससे फायदा हो। इसलिए यह सतत् व व्यापक हो। (NCF 2005)

हमें क्या करने की जरूरत है–

- सतत् व व्यापक मूल्यांकन तथा इसकी क्रियाविधि पर शिक्षकों का विशेष आमुखीकरण होना चाहिए।
- परीक्षा व निर्दिष्ट काम के साथ ही कक्षा में बच्चों की भागीदारी, समूह कार्य, सह–शैक्षिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी आदि को भी आकलन के उपकरणों के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।
- विषयवस्तु आधारित व याद्दाश्त आधारित जांच के तरीकों जैसे प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मिलान करो आदि के बजाय कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, उपलब्धि स्तर, विषयवस्तु के ज्ञान के उपयोग आदि का आकलन होना चाहिए।
- जाँच के तरीके जो चिंतन को बढ़ावा दे और स्व अभिव्यक्ति को बढ़ाए उन्हें देना चाहिए। उदाहरण के लिए–
  (i) अगर तुम खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते?
  (ii) अगर खरगोश को हाथी का सामना करना होता तो वह क्या करता?
  (iii) कहानी आगे बढ़ाओ और कहानी को समेकित करो।
- हम निम्नलिखित का आकलन क्रियाविधि में मूल्यांकन तरीकों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं :
  (i) पोर्टफोलियो

(ii) किस्से (बच्चों के बारे में विशेष जानकारियों का अभिलेख)

(iii) विभिन्न संवादों और सह–शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी।

(iv) प्रतिवेदन तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना।

(v) भाषा विकास की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना।

(vi) काम की समीक्षा तथा किताबों की समीक्षा आदि।

- भाषा की आकलन क्रियाविधि में रैंक और अंक देने की बजाय भाषाई दक्षता के स्तर की जाँच में गुणात्मकता के दृष्टिकोण से ग्रेड देना वांछनीय है।
- आकृति या मियादी आकलन की बजाय सतत् आकलन होना चाहिए। इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न भाग होना चाहिए।
- आकलन भाषा शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए जैसे– भाषा इकाईयाँ, भाषाई कौशलों का सशक्तिकरण, अभिव्यक्त कौशल, साहित्यिक रुचि, सकारात्मक व्यवहार, सौंदर्यशास्त्रीय भावना, संस्कृति एवं रिवाज, सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देना व प्रशंसा करना आदि।
- उद्देश्य आधारित आकलन बनाने के क्रम में, विद्यार्थी किताबों से निकलकर आगे तक जाए जैसे संदर्भ किताबें, मूलपाठ, शब्दकोशों, विश्वकोशों, विभिन्न पत्रिकाएँ आदि। ये सभी किताबें बच्चों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- आकलन को बच्चों के मानसिक, भावात्मक व नैतिक विकास में भी सहायता करनी चाहिए।
- संक्षेप में, शिक्षण और आकलन क्रियाविधि बच्चों के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, सामाजिक, सौंदर्यशास्त्रीय तथा नैतिक पहलूओं के विकास में सहायक होनी चाहिए।

SCERT TELANGANA

6. अध्यापक प्रशिक्षण

भूमिका :

बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक एक धूरी की भूमिका निभाता है। जैसा कि हमने पहले कहा है, बच्चे स्कूल में अपने साथ पर्याप्त मात्रा में भाषागत तथा अन्य प्रकार का ज्ञान लेकर आते है और स्कूल में उन्हें उन सभी संभावित मौकों की आवश्यकता होती है जिनसे वे अपने इस ज्ञान का विकास कर सके। इस संदर्भ में, शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। उन्हें बच्चों के सीखने की क्षमता संज्ञानात्मक विकास की सीढ़ियों और स्कूल आने से पहले बच्चे सीखने के जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उनके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। उन्हें विषय का ज्ञान अच्छे से पता हो साथ ही उन्हें यह भी पता हो कि कैसे बच्चों के लिए मौकों/अवसरों का निर्माण करें ताकि वे गतिविधियों और प्रयोजनाओं में व्यस्त हो सके जो उन्हें नये मुद्दों पर समझ बनाने में सहायता करे। बच्चे न केवल पाठ्यक्रम में दी गई चीजों को सीखने में सक्षम बने बल्कि वे समय–दर–समय स्वतंत्र रूप से सीखने वाले बने ताकि वे खुद से सीख सके। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से यह सुनिश्चित करे कि बच्चों को इस तरह के मौके उपलब्ध हो। जब बच्चा किसी खास विषय/मुद्दे पर अटक जाए तो उन्हें कुछ संकेत उपलब्ध करवाने में भी शिक्षक को सक्षम होना चाहिए। यह सब तभी हो सकता है जब हम यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक समय–समय पर सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। इसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बहुत ध्यान से नियोजित करने की जरूरत है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना एक लम्बी समयावधि को ध्यान में रखकर बनाने की जरूरत है बजाय इसके कि जब जो जरूरत हुई वैसा प्रशिक्षण कर लिया।

किसी की यह अपेक्षा होगी कि अध्यापक बाल मनोविज्ञान, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया, भाषा, गणित, विज्ञान की अवधारणात्मक स्पष्टता आदि के बारे में प्रशिक्षण ले और साथ ही अपनी विशेषज्ञता वाले विषय में वे निरन्तर रूप से सघन प्रशिक्षण प्राप्त करे। शोधकर्ता हमेशा कक्षाकक्ष शिक्षण के नये तरीके सुझाते रहते हैं और अध्यापकों को समय–समय पर इनसे वाकिफ होना चाहिए। उन्हें लिंग, निशक्त बच्चों, समाज के हाशिये के वर्ग के बच्चों आदि के विषय से जुड़े मुद्दों पर भी संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें शिक्षा में तकनीकी के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के बारे में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सभी अध्यापक बच्चों की समृद्ध अधिगम क्षमता से अवगत हो। वे सभी इस तथ्य के प्रति भी सचेत हो कि प्रत्येक सामान्य

SCERT TELANGANA

बच्ची भाषा की जटिल व समृद्ध संरचना को समझने, इस्तेमाल करने में सक्षम होती है। इसलिए बच्ची किसी भी समस्या के समाधान में योग्य होती है।

यदि उसे पर्याप्त मौके और मंच उपलबध हो। विद्यालयी पाठ्यचर्या में भाषा की दो प्रकार की भूमिका होती है; एक भाषा के रूप में और दूसरी दूसरे विषयों के माध्यम के रूप में। भाषा शिक्षक, भाषा की इन दोनों भूमिकाओं को दृष्टिगत रखते हुए भाषा शिक्षण करे और अन्य सभी अध्यापक भी इसके प्रति सचेत हो। यहाँ यह एक समझ बनती है कि प्रत्येक विषय की कक्षा, भाषा की कक्षा भी है।

एन.सी.एफ. 2005 और आर.टी.ई. 2009

एन.सी.एफ.2005 के अनुसार– शिक्षक मात्र शिक्षक नहीं है बल्कि वे ज्ञान के निर्माण में छात्रों की मदद करते हैं। अभी हाल ही में आया अधिनियम आर.टइ.ई. 2009 भी शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक उनके कर्त्तव्य, जिम्मेदारियों की महत्ता पर जोर देता है। यह ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को अपनी कार्यशैली को बदलना होगा ताकि एन.सी.एफ. 2005 व आर.टी.ई. 2009 के प्रावधान कार्यअवस्था में आ सके।

एन.सी.एफ. 2005 व आर.टी.ई. 2009 कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण अधिगम गतिविधियों के लिए शिक्षकों की तैयारी व उनके प्रशिक्षण की महत्ता को पुनः दोहराता है। शिक्षक–प्रशिक्षण एक बार की प्रक्रिया के रूप में नहीं होगा बल्कि यह निर्धारित अंतराल में एक सतत प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए।

आर.टी.ई. 2009 स्पष्ट रूप से कहता है कि हर स्तर पर बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी के रूप में शिक्षक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

- section 16 (RTE 2009:6)

  ''दाखिला प्राप्त किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा अथवा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने से पहले स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा।''

- section 17.1 (RTE 2009:6)

  ''किसी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।''

- section 24 I-B (RTE 2009:8)

  ''खण्ड 29 के उपखण्ड (2) के प्रावधानों के मुताबिक पाठ्यक्रम को चलाए और पूरा करे। 29(2)उपखण्ड(1) के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाली शैक्षणिक प्राधिकारी इन बातों पर ध्यान देगा–

SCERT TELANGANA

(1) संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता;

(2) बच्चे का समग्रता में विकास;

(3) बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास;

(4) शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास;

(5) बाल–केन्द्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करना;

(6) **जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो**

(7) बच्चे को भय, सदमा और चिन्ता मुक्त बनाना और उसे अपने विचारों को खुल कर कहने में सक्षम बनाना;

(8) बच्चे के ज्ञान की समझ और इस व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरन्तर मूल्यांकन;

- section 24 -E (RTE 2009:8)

  ''माता पिता या अभिभावकों के साथ नियमित बैठक आयोजित करे ताकि बच्चों की उपस्थिति की नियमितता, सीखने की क्षमता, सीखने की प्रगति और आवश्यक जानकारी उन्हें दी जा सके।''

- section 7 (6) (RTE 2009:4)

  केन्द्र सरकार

  अ. शैक्षणिक प्राधिकारी के सहयोग से धारा 29 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी।

  ब. शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों को विकसित करेगी और उन्हें प्रभावी बनाएगी।

  स. नवाचार के उन्नयन, शोध, नियोजन और क्षमता वृद्धि हेतु राज्य सरकार को तकनीकी सहायता एवं संसाधन प्रदा करेगी।

- section 8-I (RTE 2009:4)

  ''उपयुक्त सरकार शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराए।''

- section 9-J (RTE 2009:4)

  ''स्थानीय प्राधिकारी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराए।''

उपसंहार :

इन प्रावधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल पेशेवर सुप्रशिक्षित व्यक्तियों को ही शिक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहिए और उनका सतत् प्रशिक्षण होना

SCERT TELANGANA

चाहिए। सभी स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गहन ढाँचागत बदलाव के लिए यह जरूरी है कि समग्र साधनों और अकादमिक संसाधनों की स्थापना की जाए। यह किए बिना हम आर.टी.ई. के तहत आने वाले अपने कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते।

- पाठ्यचर्या में शिक्षकों व बच्चों के अनुभवों और गतिविधियों को स्थान मिले। यशपाल के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को एक सीखने वाला भी होना चाहिए। वे अपनी चिंतन प्रक्रिया को विकसित करे।
- शिक्षक स्कूल को समुदाय का हिस्सा समझे और ऐसी क्षमताएं विकसित करे कि वह शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में आपसी संबंध बना सके।
- प्रत्येक स्कूल के पास बच्चों व शिक्षकों के लिए एक पुस्तकालय हो।
- शिक्षक–प्रशिक्षण का लक्ष्य टिकाऊ क्षमतावर्धन होना चाहिए।
- प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक को पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक की समालोचनात्मक समीक्षा का अवसर मिलना चाहिए। इन प्रक्रियाओं में उन्हें एक भागीदार समझना चाहिए।
- शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षक की स्वयं की एवं छात्रों की भाषाई क्षमता के विकास में मददगार हो।
- शिक्षकों को भाषा की प्रकृति, इसके तत्त्व तथा महत्त्व को समझने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। भाषाई क्षमता से अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा सकती है।
- केवल साहित्य पढ़ाना भाषा पढ़ाना नहीं है। भाषा शिक्षक इस बात को ध्यान में रखे और केवल पाठ की विषयवस्तु को महत्त्व देने के बजाय भाषा रूपों, संरचना आदि को महत्त्व दे।
- वे बहुभाषिता के संसाधन, शिक्षण रणनीति तथा उद्देश्य के रूप में इस्तेमाल को सराहे।
- शिक्षक को सतत् व समग्र आकलन के अन्तर्गत भाषा आकलन के सिद्धान्त पता होने चाहिए।
- प्रभावी शिक्षण के लिए उन्हें नवीनतम तकनीकी इस्तेमाल करनी चाहिए।

SCERT TELANGANA

- सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए स्कूल, मंडल संदर्भ केन्द्र, डाइट, आई.ए.एस.ई., सी.टी.ई. और एस.सी.ई.आर.टी. को सशक्त करना चाहिए।
- शिक्षकों व शिक्षक प्रशिक्षकों के संदर्भ के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों में एक अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें स्त्रोत सामग्री, संदर्भ सामग्री, शब्दकोश, विश्वकोश और पाठ्यपुस्तकें हों।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अवलोकन, समीक्षा व पुनर्योजना के लिए एक मॉनिटरिंग संस्था होनी चाहिए।
- सभी शिक्षकों के लिए एक निर्धारित अंतराल पर सेवाकालिक प्रशिक्षण को अनिवार्य करना चाहिए। ये कार्यक्रम अवकाश के दौरान आयोजित करने चाहिए। यदि जरूरत हो तो अतिरिक्त अवकाश और मानदेय देना चाहिए। किसी भी हालात में प्रशिक्षण, कार्यशाला व टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के नाम पर शिक्षक को विद्यालय से बाहर नहीं बुलाना चाहिए।

SCERT TELANGANA

7. अनुशंसाएँ

1. मातृभाषा के माध्यम से बच्चे अपने आस–पास की दुनिया के बारे में जानते हैं। अपनी संस्कृति, गणित और पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चों की भाषाओं का विद्यालय में अवश्य सम्मान होना चाहिये। जहाँ तक संभव हो बच्चों की भाषा में ही शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये और ऐसा केवल शिक्षा के बहुभाषिक स्वरूप में ही संभव है। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की स्थिति में तो इसका अच्छा खासा महत्त्व है क्योंकि सामान्यतः उनकी, भाषाओं को स्कूल में दोषपूर्ण बताया जाता है और नज़र अंदाज किया जाता है।
2. चाहे कोई भी भाषा हो हमें सुप्रशिक्षित, उच्च दक्षता प्राप्त भाषा शिक्षक की जरूरत है। अंग्रेजीके शिक्षण में भी यही बाते लागू होगी। तेलुगु माध्यम/मातृभाषा माध्यम वाले बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में दाखिला दिया जाना चाहिये। यहाँ तक कि यदि कोई बच्चा अपना माध्यम बदलना चाहे तो उसे ऐसी सुविधा उस स्कूल विशेष में ही मिलनी चाहिये। सरकार को चाहिये कि माध्यम बदलने वाले बच्चों को जरूरी संसाधन, सामग्री, बच्चों को प्रशिक्षण मुहैया कराये।
3. पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान उच्च स्तरीय द्विभाषिकता बनाये रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहिये हम जानते है कि द्विभाषिकता और विद्वत–उपलब्धि के बीच गहरा गुणात्मक संबंध होता है जब तक भाषा में उच्च स्तरीय प्रवीणता नहीं आती, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में विद्वत उपलब्धि नहीं बढ़ सकती है।
4. इस ख्याल से शुरूआती दौर में स्कूल में भाषा पर दिया जाने वाला समय काफी अहम मुद्दा है। स्कूल के पहले दो–तीन सालों में बहुभाषिक माहौल में भाषाई गतिविधियों पर ज्यादा समय दिया जाना चाहिये।
5. भाषा में प्रवीणता बढ़े इसके लिए जरूरी है कि पाठ्यचर्या निर्माता, पाठ्यपुस्तक लेखक, अध्यापक शिक्षक और प्रशिक्षक विभिन्न विषयों और भाषाओं के बीच में नेटवर्क बनाने में हमेशा कोशिश करें।
6. हम जानते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा कौशल को एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वतः स्थानांतरित हो जाते हैं इसलिए पाठ्यचर्या में भाषाओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

SCERT TELANGANA

7. संस्कृत एक समृद्वभाषा है। यह हमारे सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसने कई भारतीय भाषाओं, जिसमें तेलुगु भी हो, को समृद्ध किया है। इसलिए छठवीं कक्षा से एक विषय के रूप में इसे पढ़ाया जाना चाहिये।

8. पद्धति, सामग्री, शिक्षण अधिगम रणनीति और मूल्यांकन प्रक्रियाएँ ऐसी हों कि स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चे तेलुगु/मातृभाषा, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रवीणता हासिल कर सकें।

9. शिक्षक को कक्षा में मौजूद भाषाई विविधता की जानकारी होनी चाहिये। आधार पत्र का सुझाव है कि शिक्षक इसे संसाधन के रूप में इसका उपयोग को आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे शिक्षक होने चाहिये जो इस क्षेत्रों की भाषाओं से परिचित हो। इसके बारे खास ध्यान देने की जरूरत है।

10. रूचिकर, विचारो पर और चुनौतीपूर्ण पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना काफी महत्त्वपूर्ण है। दूसरी पुस्तकें ऐसी हो जो विभिन्न थीमों, पर आधारित हो। ये पुस्तकें प्रवीण प्रशिक्षित शिक्षकों की विभिन्न भाषाओं में उच्च स्तरीय प्रवीणता को सुनिश्चित करती है।

11. विभिन्न परिस्थितियों संदर्भों में भाषा प्रयोग से संबंधित टेक्स्ट शिक्षण के आधार का निर्माण कराते हैं।

12. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गुणवत्ता के ख्याल से शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी संस्थानों का निर्माण जरूरी है जो कि भाषा शिक्षण शास्त्र में प्रवीण शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करें। यह भी उतना ही लाज़मी है कि ऐसे एन.जी.ओ. के साथ सम्पर्क जोड़ा जाये जिन्होंने भाषा शिक्षण शास्त्र के क्षेत्र में अहम नवाचार किये हों।

13. राज्य के अन्दर और बाहर दोनों स्तरों पर शिक्षा नीति में भाषा को विकेन्द्रित करने की तुरंत कोशिश की जाये।

14. आंध्रप्रदेश में बहुभाषिक कक्षाओं की मौजूदगी आम बात है। इसे शिक्षा में संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिये न कि अवरोध के रूप में। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता लाने और सामाजिक सहनशीलता का बढ़ाने के लिए बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षाओं का उपयोग किया जाना चाहिये।

15. सूक्ष्म, अल्पसंख्यक, आदिवासी और सामाजिक परिवर्तन और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के चलते हुई अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत भाषा को सुरक्षित जीवित और विकास करने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिये।

SCERT TELANGANA

16. धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पक्षपातों को खत्म करने की कोशिश संपूर्ण पाठ्यचर्या में होनी चाहिये वांछित सामाजिक बदलाव लाने के संबंध में भाषा की कक्षा सर्वाधिक उपयुक्त और सफल सिद्ध होगी। इसके अनुरूप जिम्मेदारीपूर्ण संवाद कायम करने के लिए अधिगम सामग्रियों के बनानेवालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

17. हमारे ज्ञान के बड़े भाग में स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव है जो प्रसारित है और भाषा के द्वारा लगातार पुनर्निमित है। यदि हम एक प्रजातांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं तो ज्ञान के निर्माण में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिये।

18. आकलन प्रक्रियाएँ न तो आवधिक हों और न ही व्याकरण की जानकारी और केवल पढ़ने की समझ पर केन्द्रित हो। ये सतत और व्यापक हों भाषिक विविधता के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने वाली हो और इनमें संप्रेषण कार्य शामिल हो जो पाठ्यचर्या में गायब हैं। आकलन की कई पद्धतियाँ हो सकती हैं जैसे– चर्चा, संवाद, कहानी निर्माण, पोर्टफोलियों, किस्सा आदि।

19. विभिन्न तरह की अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश होनी चाहिये। सारे स्कूलों में रैम्प, टैक्टाइट टाइल, अक्षम लोगों के लिए प्रसाधन तथा सुरक्षित रास्ते हो ताकि अक्षमता वाले बच्चों को किसी तरह का कष्ट नहीं उठाना पड़े। स्कूल के बौद्धिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन बच्चों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। गंभीर मानसिक अक्षमतावाले बच्चों को विशेष सहायता की जरूरत होती है यह सहायता उन्हें मिलनी चाहिये। लेकिन देखने, सुनने और हड्डी के कण से ग्रस्त बच्चों के लिए तकनीकी सहायता दी जानी चाहिये ताकि ये दूसरे बच्चों की तरह पढ़ सके। इसके लिए हमें डिजिटाइज्ड किताबों और साइनरों की जरूरत होगी।

20. भाषा विकास के लिए एस.सी.ई.आर.टी. को भारतीय भाषाओं के अंतक्रियात्मक ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था करे। इसके लिए उसे एन.सी.ई.आर.टी., सी.आई.एल.एल., मैसूर आदि से सहयोग लेना चाहिये। इसके अलावा प्रासंगिक और रोचक दूरदर्शन कार्यक्रमों को भी निर्मित किये जाने चाहिये।

21. चूँकि पाठ्यचर्या में भाषाओं की भूमिका अहम रूप में पहचानी गयी है। सारे शिक्षकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे विशिष्ट उन्मुखीकरण कोर्स करें जो कि भाषा की प्रकृति, संरचना और कार्य पर आधारित हो। इससे एक रणनीति का विकसित होगी जो सीखने वालों और भाषाओं के विकास के लिए उत्तरदायित्व की भावना को साझा करेगी।

22. बच्चों पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए सारे स्कूलों में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय होना चाहिये। जहाँ प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्र रूप से पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। बच्चों को डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया जाये। स्कूल के पुस्तकालय को समृद्ध करने के लिए बाल साहित्य की पुस्तकें होनी चाहिये हर स्कूल में बच्चों की पहुँच में स्तरीय पठन सामग्री होनी चाहिये।

23. भाषा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की किताबों में प्रयोग की जाने वाली भाषा में संबंध जोड़ना काफी जरूरी है। भाषा कठिन होने के चलते कई बच्चे वैज्ञानिक और सामाजिक अवधारणाओं को नहीं समझ पाते हैं।

24. बच्चों की रूचि और उत्सुकता जागृत करने के लिए प्राथमिक स्तर की किताबों में बातचीत के रूप में कहानी, गीत राइम, वार्ता आदि शामिल होना चाहिये। प्राथमिक स्तर की किताबों में साहित्य के विभिन्न कालों और क्षेत्रों से संबंधित बातचीत शामिल होनी चाहिये। ये बच्चों को अलग तरीके से सोचने में सक्षम बनायेंगे और बातचीत में विविधता लायेंगे।

25. भाषा शिक्षण अधिगम संबंधी गतिविधियाँ ऐसी हो जो बच्चों को अपने अनुभवों, विचारों, मातृभाषाओं मतों और रूचिओं को अभिव्यक्त करने के लिए काफी मौके और स्वतंत्रता मुहैया कराये।

26. रटंत विद्या को हतोत्साहित करने के लिए विचारोत्तेजक गतिविधियाँ बनायी जानी चाहिये। वाक्यपटुता, निबंध लेखन, कविता वाचन, साहित्यिक क्विज, पत्रिकाओं के लिए लेखन जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जानी चाहिये। इन्हें स्कूल की रोज की गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिये।

27. बच्चों की प्रगति, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षक निष्पादन से संबंधित सूचकों का निर्माण और व्यवस्था किया जाना चाहिये।

28. जिला और राज्य स्तर पर भाषा विकास केन्द्र खोले जाने चाहिये। स्कूल स्तर से राज्य स्तर तक भाषा मेलों का आयोजन किया जाना चाहिये।

29. भाषा में निपुणता का विकास करने के लिए प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों में भाग लेना चाहिये जिसका आयोजन स्कूल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हो।

30. भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में छोटे शोध प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

परिशिष्ट–1 : भाषा सलाहकार और समिति सदस्य

सलाहकार

प्रो. रमाकान्त अग्निहोत्री

प्रो. हृदय कान्त दीवान

डॉ. अब्दुल रशीद

डॉ. नजमा रहमानी

विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर

समिति सदस्य

1. डॉ. रमा श्रीहरि
   सेवानिवृत्त उप कुलपति, द्रविड़ यूनिवर्सिटी
   कुप्पम, चित्तुर, आंध्रप्रदेश
2. डॉ. पोरंकी दक्षिणमूर्ति
   सेवानिवृत्त उप संचालक, तेलुगु अकादमी
   हैदराबाद, आंध्रप्रदेश
3. डॉ. आर. चंद्रशेखर रेड्डी
   सेवानिवृत्त प्राचार्य, आंध्र सारस्वत परिषद्
   प्राच्य कलाशाला, नल्लाकुन्ता, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश
4. डॉ. डी. सांबा मूर्ति
   सेवानिवृत्त प्राचार्य गोवर्नमेन्ट कॉलेज टीचर एजुकेशन
   वारंगल, आंध्रप्रदेश
5. प्रो. सहादेवुदु, एस.सी.ई.आर.टी., आंध्रप्रदेश, हैदराबाद
6. सुवर्ण विनायक, प्रधानाध्यापक जीपीएस मंथानी
   जिला– करीमनगर, आंध्रप्रदेश
7. वी. चेन्नईया एस.ए. तेलुगु ज़ेडपीएचएस नर्सिंग
   रंगा रेड्डी, आंध्रप्रदेश
8. वी. शरत बाबू, एस.ए. तेलुगु गोवर्नमेन्ट हाई स्कूल, अम्बरपेट
   हैदराबाद, आंध्रप्रदेश
9. जी. नारायणा तेलुगु लेक्चरर, डाईट रायाचोटी,
   वाई.एस.आर. कदापा, आंध्रप्रदेश
10. वी. स्वर्णलता, एस.ए., पथपट्टीसीमा, पोलावरम
    वेस्ट गोदावरी, आंध्रप्रदेश

SCERT TELANGANA

11. से. रमेश राव, एस.ए., स्वर्ण हाई स्कूल, करीमनगर
12. से. बुद्धोजी चौधरी, तेलुगु लेक्चरर,
आईएएसई हैदराबाद, आंध्रप्रदेश
13. श्री कुमार अनुपम, विद्या भवन, उदयपुर
14. श्रीमती अदिति मजूमदार, विद्या भवन, उदयपुर
15. श्री पुष्पराज राणावत, विद्या भवन, उदयपुर

भाषा समन्वयक : एन. सरोजिनी देवी लेक्चरर, एससीईआरटी, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश
पाठ्यचर्या विभागाध्यक्ष : डॉ. एन. उपेन्दर रेड्डी प्रो. एससीईआरटी, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश

हिन्दी भाषा समूह

समन्वयक

1. श्रीमती पी. विजयलक्ष्मी
लेक्चरर, आई.ए.एस.ई.
नेल्लूर, आंध्रप्रदेश
2. डॉ. एन. उपेन्दर रेड्डी
प्रो. एससीईआरटी, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश

सदस्य

1. श्रीमती जयश्री लोहारेकर
जी.एच.एस. काचीगुडा,
साईनगर, सईदाबाद,
हैदराबाद
2. सय्यद मतीन अहमद
जेड.पी.एच.एस.,
वी वल्लेला
नलगोंडा
3. श्रीमती जी. किरण
जी.एच.एस. फॉर डेफ
मलकपेट, हैदराबाद
4. श्रीमती कविता
जी.एच.एस., अजमपुरा–2
हैदराबाद

SCERT TELANGANA

5. सुरेश कुमार मिश्रा
जेड.पी.एच.एस. पासमामुल्ला
हयातनगर, रंगारेड्डी

6. पुष्पराज राणावत
रिसर्च एसोसिएट
विद्या भवन सोसायटी
उदयपुर

परिशिष्ट–2

संदर्भ :

Agnihotri, R.K. 1988. 'Errors as learning strategies'. *Indian Journal of Applied Linguistics* 14.1:1-14.

Agnihotri, R.K. 1992. 'India: multilingual perspective'. In Nigel, T. (ed.), *Democratically Speaking: International Perspective on Language Planning*. South Africa, Salt River: National Language Project.

Agnihotri, R.K. 1995. 'Teacher's pace in the clasroom'. *The Language Curriculum: Dynamics of Change* (Vol.1). Report of the International Seminar. Hyderabad: CIEFL.

Agnihotri, R.K., Khanna, A.L. 1994. (eds.), *Second Language Acquisition: Socio-cultural and Linguistic Aspects of English in India* (RAL1). New Delhi: Sage Publications.

Agnihotri, R.K., Khanna, A.L. 1995. (eds.), *English Language Teaching in India: Issues and Innovations* (RAL2). New Delhi: Sage Publications.

Agnihotri, R.K. and Khanna, A.L. 1997. "Social psychological perspective on second language learning: A critique". In Singh, R. (ed.), *Grammar, Language and Society*. New Delhi: Sage Publications.

Agnihotri, R.K., Khanna, A.L. and Sachdev, I. (eds.), 1998. *Social Psychological Perspectives in Second Language Learning* (RAL 4). New Delhi: Sage Publications.

Alderson, J.C. and Baretta, A. (eds.), 1992. *Evaluating Second Language Education* Cambridge: Cambridge University Press.

Alderson, J.C., Clapham, C. and Wall, D. 1995. *Language Test Construction and Evaluation.* Cambridge: Cambridge University Press.

SCERT TELANGANA

Allwright, D. and Bailey, K.M. 1991. *Focus on the Language Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.

Allwright, R.L. 1981. What do we want teaching materials for? ELT 36.1:5-18.

Arora, G.L. 1995. *Child centered Education for Learning without Burden*. Gurgaon: Krishna Publishing Company.

Beaumont, M. 1996. *The Teaching of Reading Skills in Second/Foreign Language. Patras*: The Hellenic Open University.

Carroll, J.B. 1956 (ed.), *Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. New York: John Wiley and Sons.

Chomsky, N. 1972. *Language and Mind*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Chomsky, N. 1996. *Powers and Prospects: Reflections on Human Nature and the Social Order* Delhi: Madhyam Books.

Edwards, V. 1998. *The Power of Babel: Teaching and Learning in Multilingual Classroom* Stoke-on-Trent: Trentham Book.

Gardner, H. 1993. *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*. New York: Basic Books.

Gupta, R.S. 1994. *Selecting reading materials: some key considerations*. In Agnihotri, R.K., Khanna, A.L. 1994. (eds.), *Second Language Acquisition*. New Delhi: Sage Publications.

IIIich, I. 1981. Preface to Pattanayak, 1981. *Multilingualism and Mother Tongue Education*. Oxford University Press.

Jesperson, O. 1922. *Language: Its Nature, Development and Origin*. New York: W.W. Norton.

Ministry of Education. 'Education Commission "Kothari commission". 1964-1966. *Education and National Development*. Ministry of Education, Government of India. 1966.

Learning without Burden. Report of the National Advisory Committee. Education Act. Ministry of HRD, Department of Education, October, 2004.

National Policy on Education. 1986. Ministry of HRD, Department of Education, New Delhi.

National Curriculum Frame Work. 2009. NCERT, New Delhi.

Robert, J. 1995. 'Self-directed classroom inquiry by teachers: known benefits, an assessment of criticisms, and implications for teacher-researcher activity'. *The Language Curriculum*: *Dynamics of Change* (Vol.1). Report of the International Seminar. CIEFL.

Right to Education Act. 2009.

Teaching of Indian Languages. Position Paper. National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

SCERT TELANGANA

Teaching of English. Position Paper. National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

Zamel, V. 1985. *Responding to student writing*. TESOL Quarterly 19.1.

Must visit website:

http://www.languageinindia.com.

Some Journals

Seminar (Issue no. 493 of 2000 contains contributions by Krishna Kumar, Padma M. Sarangapani, Rohit Dhankar, Mohammad Talib, Sadhna Saxena, A.R. Vasavi, Shobha Sinha, Aruna Rathnam, Geetha B. Nambissan, and a short select bibliography on Redesigning Curricula), New Delhi, India.

Sandarbh, Eklavya (Hindi), Hoshangabad, India.

Vimarsh, Digantar (Hindi) Jaipur, India.

Srote, Eklavya (Hindi), Bhopal, India.

Buniyadi Shiksha (Hindi), Udaipur, India.

Language in Society, New York, USA.

Journal of Reading, New York, USA.

SCERT TELANGANA